सं 28/30/2004-पी एंड पीडबल्यू (बी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 11 जून,2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- पेंशनी प्रतिष्ठानों के अधीन कार्य करते समय केंद्रीय/राज्य और स्वायत्त निकायों के बीच कर्मियों के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन - के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 22.12.2003 की अधिसूचना संख्या 5/7/2003-ईसीबी.पीआर द्वारा नई पेंशन योजना(जिसे अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कहा जाता है) को लागू किया गया था। इसमें प्रावधान किया गया था कि सशस्त्र बलों को छोड़कर 1 जनवरी, 2004 से केंद्र सरकार सेवा की सभी नई भर्तियों के लिए एनपीएस अनिवार्य होगा।

2. इस विभाग के दिनांक 26.7.2005 के समसंख्यक का.ज्ञा. में यह प्रावधान किया गया था कि ऐसे सभी कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 01.01.2004 से पूर्व केंद्र सरकार की सेवा या केंद्र सरकार द्वारा गठित किसी स्वायत्त निकाय की सेवा में कार्यभार ग्रहण किया तथा जो केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के तहत पुरानी पेंशन योजना द्वारा शासित होते थे, और यदि वे केंद्र सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग या केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली द्वारा कवर किए गए किसी केन्द्रीय स्वायत्त निकाय में दिनांक 01.01.2004 को या उसके बाद नई नियुक्ति लेते हैं तो उनकी विगत सेवा की भी गणना की जाएगी और उसी पेंशन योजना/नियमों द्वारा ही शासित होते रहेंगे बशर्ते वे कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 29.8.1984 के का.ज्ञा.सं 28/10/1984-पी यू के पैरा 4 में विहित शर्तों को पूरा करते हों।

3. तत्पश्चात, इस विभाग के दिनांक 28.10.2009 के समसंख्यक का.ज्ञा. द्वारा, केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के तहत विगत सेवा की गणना का लाभ उन कर्मचारियों के लिए प्रदत्त किया गया जो प्रारम्भिक रूप से 01.01.2004 से पूर्व (i) रेलवे पेंशन नियमावली के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के विभाग या केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के अलावा पुरानी पेंशन योजना/नियमों के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के अन्य समान गैर-अंशदायी पेंशनी प्रतिष्ठानों या (ii) केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली की तरह पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाली राज्य सरकार या (iii) पुरानी पेंशन योजना अंतर्गत आने वाले केंद्र/राज्य स्वायत्त निकाय में नियुक्त हुए और जिन्होंने केंद्र सरकार के विभाग/कार्यालय या पेंशनी प्रतिष्ठान वाले केंद्रीय स्वायत्त निकाय में कार्यभार ग्रहण करने के लिए त्यागपत्र दे दिया।

4. इस विभाग में ऐसे कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिन्होंने केंद्र सरकार विभाग, राज्य सरकार या केंद्र/राज्य स्वायत्त निकाय के पेंशनी प्रतिष्ठान से तकनीकी त्यागपत्र देने के बाद, दिनांक 01.01.2004 के बाद परंतु दिनांक 28.10.2009 से पूर्व केंद्र सरकार/केंद्रीय स्वायत्त निकायों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत कार्यभार ग्रहण किया और जिन्हें केंद्र सरकार में पुरानी पेंशन योजना में विगत सेवा की गणना के लाभ से वंचित किया गया था।

5. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा व्यय विभाग के साथ परामर्श करके, मामले की जांच की गयी है। यह निर्णय लिया गया है कि जिन कर्मचारियों ने केंद्र सरकार/केंद्रीय स्वायत्त निकाय या राज्य सरकार/राज्य स्वायत्त निकाय से तकनीकी त्यागपत्र देने के बाद दिनांक 01.01.2004 से 28.10.2009 के दौरान एनपीएस के तहत केंद्र सरकार/केन्द्रीय स्वायत्त निकाय में कार्यभार ग्रहण किया तथा जो इस विभाग के दिनांक 28.10.2009 के का.ज्ञा. के संदर्भ में विगत सेवा की गणना की शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के लिए तथा इस विभाग के समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 07.02.1986 के का.ज्ञा., के साथ पठित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 29.08.1984 के का.ज्ञा. के संदर्भ में ऐसी विगत सेवा की गणना की अन्य सभी शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन, केंद्र सरकार/केंद्रीय स्वायत्त निकाय से अंतिम सेवानिवृत्ति पर पेंशनरी लाभ के प्रयोजनार्थ केंद्र/राज्य सरकार या केंद्र/राज्य स्वायत्त निकाय में दी गई विगत सेवा की गणना के लिए एक विकल्प दिया जा सकता है।

6. इस का.ज्ञा. के जारी होने के 3 महीने के भीतर ऐसे विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 01.01.2004 से 28.10.2009 के दौरान एनपीएस के तहत नियुक्त किए गए हैं और उपर्युक्त पैरा 5 के संदर्भ में विकल्प देने के पात्र हैं, परंतु निर्धारित अवधि के भीतर विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के प्रावधानों द्वारा कवर किए जाते रहेंगे। जिन कर्मचारियों ने दिनांक 01.01.2004 से 28.10.2009 के दौरान कार्यभार ग्रहण किया था और जिन्हें दिनांक 28.10.2009 के का.ज्ञा. के संदर्भ में सीसीएस(पेंशन) नियमावली का लाभ पहले ही दिया जा चुका है, उन पर वही नियम लागू होते रहेंगे।

7. जो कर्मचारी उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार विगत सेवा की गणना के लिए विकल्प का प्रयोग करते हैं, उन्हें सीसीएस(पेंशन) नियमावली, 1972 के तहत लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है। दिनांक 29.08.1984 के का.ज्ञा. सं 28/10/84-पेंशन यूनिट में निहित निर्देशों के अनुसरण में केंद्रीय/राज्य स्वायत्त निकाय में विगत सेवा के लिए पेंशन और उपदान का पूंजीकृत मूल्य उस निकाय द्वारा केंद्र सरकार/केन्द्रीय स्वायत्त निकाय को जमा किया जाएगा। यदि संबंधित कर्मचारी को केंद्र सरकार के विभागों, राज्य सरकार, केंद्रीय/राज्य स्वायत्त निकाय इत्यादि से पेंशन लाभ मिला है, तो उसे विगत सेवा की गणना को सक्षम करने के लिए केंद्र सरकार के विभाग/केंद्रीय स्वायत्त निकाय जिसमें उसने कार्यभार ग्रहण किया है, को पेंशन लाभ की राशि (इस विभाग के दिनांक 29/07/2002 के का.ज्ञा. सं 38/34/2001-पीएंडपीडबल्यू(एफ़) के अनुसरण में ब्याज सहित गणना की जाने वाली राशि) जमा करना अपेक्षित होगा। एनपीएस के तहत अर्जित ब्याज/रिटर्न के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की संचित सम्पत्ति में कर्मचारी का हिस्सा कर्मचारी के जीपीएफ़ खाते में जमा किया जाएगा। एनपीएस के तहत अर्जित ब्याज/रिटर्न के साथ नियोक्ता का हिस्सा इस का.ज्ञा. के पैरा 9 में दी गयी पद्धति के अनुसार केंद्र सरकार/केंद्रीय स्वायत्त निकाय के खाते में जमा किया जाएगा।

8. कुछ मामलों में, ऐसा हो सकता है कि दिनांक 01.01.2004 से 28.10.2009 के दौरान पुरानी पेंशन योजना के तहत विगत सेवा की गणना का लाभ नहीं मिलने के कारण, दिनांक 01.01.2004 के बाद परंतु दिनांक 28.10.2009 से पूर्व पेंशनी केंद्र सरकार के विभाग/केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में कार्यभार ग्रहण करने से पहले राज्य सरकार/राज्य स्वायत्त निकाय इत्यादि के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए मजबूर किया गया हो। यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे कर्मचारियों की 'स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति' को 'तकनीकी त्यागपत्र' के रूप में माना जा सकता है तथा उपर्युक्त पैरा 5 से 7 तक के प्रावधानों का लाभ भी सेवा गणना के लिए अन्य सभी शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन दिया जा सकता है।

8.1 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के पश्चात पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए उचित माध्यम के द्वारा आवेदन पत्र अग्रेषित किया जाना, तकनीकी त्यागपत्र समझा जाने के लिए पूर्वपेक्षा होगी।

8.2 ऐसे सभी मामलों में इस कार्यालय ज्ञापन के प्रावधान अनिवार्य है।

9. एनपीएस संचयन के लेखांकन की पद्धति निम्नानुसार होगी :

क्रम संख्या	**मुद्दे**	**समायोजन प्रक्रिया**
1.	एनपीएस खातों में कर्मचारियों के अंशदान का समायोजन	धनराशि को व्यक्ति के सामान्य भविष्य निधि(जीपीएफ) खाते में जमा किया जा सकता है और खाते को अद्यतित ब्याज के साथ नया रूप दिया जाय(एफ़आर-16 और सामान्य भविष्य निधि(जीपीएफ़) नियमावली का नियम 11)
2.	एनपीएस खातों में सरकारी अंशदान का समायोजन	निम्न के लेखे हेतु जैसे (-) वस्तु शीर्ष में जमा, "70-कटौती वसूली" मुख्य शीर्ष के तहत "2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृति हितलाभ" और लघुशीर्ष "911- अधिक भुगतान की कटौती वसूली" (जीएआर 35 तथा मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची का पैरा 3.10 और सिविल लेखा मैनुअल का पैरा 5.1.3(iii)
3.	निवेशों के अधिमूल्यन के कारण एनपीएस में अभिदान के वर्धित मूल्य का समायोजन	मुख्य शीर्ष "0071- पेंशन और अन्य सेवानिवृति हितलाभों के लिए अंशदान और वसूलियां" और लघुशीर्ष "800-अन्य प्राप्तियाँ (एलएमएमएच में उपर्युक्त मुख्य शीर्ष के तहत टिप्पणी) के अंतर्गत सरकारी खाते में जमा द्वारा लेखाबद्ध किया जायेगा ।

10. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इन आदेशों की विषय-सामग्री को अपने नियंत्रणाधीन लेखा नियंत्रक/वेतन एवं लेखा अधिकारियों और संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों के संज्ञान में लायें।

11. इन आदेशों को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के साथ परामर्श करने के पश्चात उनके दिनांक 06.01.2020 के आइ.डी. नोट सं 25(6)/EV/2017 तथा लेखा महानियंत्रक के साथ परामर्श करने के पश्चात उनके दिनांक 18.08.2017 के आइ.डी. नोट सं 1(7)(2)/2010/c/a/TA/860 के द्वारा जारी किया जाता है।

12. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों के लिए इनके अनुप्रयोग के संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन यथाअधिदेशित, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करने के पश्चात जारी किए जाते हैं।

(रुचिर मित्तल)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

- केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
- सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्रों के मुख्य सचिव
- राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के महालेखाकार
- व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
- भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली
- रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली को सूचनार्थ
- वित्तीय सेवा विभाग, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली
- सीजीए, व्यय विभाग, आईएनए, नई दिल्ली
- एनआईसी सेल को इस अनुरोध के साथ कि इसे विभाग की वैबसाइट पर अपलोड करें